संख्या-74/2022/ई-2073605/71-3099/6/2021-03

प्रेषक,

प्रेम शंकर तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 13 अप्रैल, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र सहायितत योजना (फेज-1) के अंतर्गत संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, अयोध्या को उच्चीकृत कर राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2021-22/1052, दिनांक 24-03-2022, जिसके द्वारा राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय पुनरीक्षित लागत रू0 245.6418 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित द्वितीय पुनरीक्षित लागत रू0 245.6418 करोड़ के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अबतक कुल रू0 21597.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जो निम्नवत् है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 26-07-2016	500.00
2	संख्या-204/2016/3057/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 19-12-2016	1000.00
3	संख्या-77/2017/881/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 22-05-2017	554.16
4	संख्या-121/2017/3444/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 03-11-2017	5500.00
5	संख्या-04/2018/111/71-3-2018-जी-229/2016, दिनांक 24-03-2018	4500.00
6	संख्या-46/2018/1034/71-3-2018-जी-158/2017टीसी-5, दिनांक 17-12-2018	1000.00
7	संख्या-60/2019/386/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 27-03-2019	150.00
8	संख्या-72/2019/485/71-3-2019-जी-229/2016, दिनांक 29-04-2019	1200.00
9	संख्या-776/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 02.08.2019	3000.00
10	संख्या-89/2019/1295/71-3-2018-61/2018टीसी-2, दिनांक 22.11.2019	1193.00
11	संख्या-135/2021/ई-1911434/71-3-2021-जी-229/2016, दिनांक 09.11.2021	3000.00
	योग	21597.16

3- इस सम्बन्ध में संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, अयोध्या को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु 24-वृहत् निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 08.00 करोड़ (रू0 आठ करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-129/2021/ई-102218/71-3-2021-जी-229/2016, दिनॉक 29-09-2021 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
4. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022/231/2022, दिनांक 29.03.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।
7. प्रायोजना पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि तक प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए एवं मासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जाए।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8925-पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, अयोध्या।
7. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in